

महोदयजी-

जानें से सफट है कि :-

- (1) साक्षीना पत्र सौंपाधिकार का है।
- (2) उचित मोठ पीज पर है।
- (3) आवश्यक राजस्व रैकाडि कीजमाणत
परिचय सैलगत है।
- (4) साक्षीना पत्र में वरिष्ठ साक्षी के
साक्षीगण सहायिदा सेने से इवै
वपती करानेका अधिकार है।
अतः दर्ज कर आदेश जारी किया
जाना उचित है। भादशाथ्य पुरपुर

14/6/23

(5) श्रीमान् एस्त डी. डी. ला

प्रकरण 4 म 4/02 1/5/23

14/6/23

म

14/6/23

